

परिपत्र संख्या-विधि-2(1)फार्म मिसिंग-(7)(2008-2009) 0809092 /वाणिज्य कर,
कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश।

(विधि अनुभाग)

लखनऊ // दिनांक // 30 दिसम्बर, 2008

नोटिस

केन्द्रीय बिक्रीकर, उत्तर प्रदेश नियमावली, 1957 के नियम -8 के उपनियम -13 के प्राविधानों के अंतर्गत सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित व्यापारी, जिन्हें निम्न क्रमांक के फार्म-सी, वाणिज्य कर कार्यालय से जारी किये गये थे अथवा ऐसे व्यापारी को क्रेता व्यापारियों से भरे हुए प्राप्त हुए थे, खो जाने / नष्ट हो जाने अथवा चोरी हो जाने के संबंध में सूचना प्राप्त हुयी है। किसी भी व्यापारी द्वारा इसका प्रयोग अवैध होगा:-

क्र० सं०	व्यापारी / फर्म का नाम व पता	फार्म का प्रकार/ संख्या	अवैध घोषित होने का कारण	संख्या
1	सर्वश्री आनन्द ट्रिपलैक्स बोर्ड लि० ए-60 साकेत, मेरठ	फार्म "सी " संख्या-25-463344	--	01
2	मेसर्स क्वालिटी ट्रेडर्स, होटल आकाश दीप बांसमण्डी, बरेली	फार्म "सी " संख्या-0499936 एवं 0499937	खोने के कारण	02
3	सर्वश्री इलाहाबाद होजरी एण्ड जनरल स्टोर, चाहचंद, इलाहाबाद	फार्म "सी " संख्या-1553599, 1553600, 1553601, 1553602, 1553603	खोने के कारण	05
4	सर्वश्री संतोष ब्रादर्स मोतीबाग, बुलन्दशहर	फार्म "सी " संख्या-1406228	खोने के कारण	01
5	सर्वश्री एन० एच० ट्रेडिंग कम्पनी 504/121 टैगोर मार्ग, नदवा कालेज, डालीगंज लखनऊ	फार्म "सी " संख्या-1562775 एवं 1562776	असि०कमि०वाणिज्य कर पंजीयन प्रकोष्ठ लखनऊ के पत्रांक 329 दि०-14-11-08 के अनुसार व्यापारी को जारी टिन न०-09150002759 प्रभावी दिनांक-15-12-07 को, आदेश दि०-12-11-08 के द्वारा निरस्त कर दिया गया है। दर्शित दोनों फार्म 'सी' अवशेष है, जिनका प्रयोग अवैध होगा।	02
6	मेसर्स एपेक्स शू कम्पनी प्रा०लि० 2/1 सेक्टर न०-22, इण्डस्ट्रीयल एरिया, जगदीशपुर, सुल्तानपुर	फार्म "सी " संख्या-1976381 एवं 1976382	खोने के कारण	02
7	सर्वश्री गोयल एसोसिएट्स 114, छिपीवाड़ा, मेरठ	फार्म "सी " संख्या-0159702	खोने के कारण	01

9	सर्वश्री सूर्या रोशनी लि0, काशीपुर(उत्तराखण्ड) (आयुक्त कर, उत्तराखण्ड देहरादून के विज्ञप्ति संख्या 2968 दिनांक 04- 12-2008 के अनुसार)	फार्म "सी" संख्या- U.A./C-2001-213871 & U.A.VAT/D(T)-2006-005295	खोने के कारण	02
---	---	--	--------------	----

(के0 सी0 केसरवानी)

एडीशनल कमिशनर (विधि) वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

पू0पू0सं0 एव दिनांक उक्त ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- अधीक्षण मुद्रण लेखन सामग्री, उ0प्र0 इलाहाबाद को इस आशय से प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन गजट के आगामी अंक में प्रकाशित करने का कष्ट करें तथा गजट की प्रतिलिपि इस कार्यालय को प्राप्त कराने का कष्ट करें ।
- 2- प्रमुख सचिव, कर एवं निबन्धन विभाग, उ0प्र0शासन, सचिवालय, लखनऊ ।
- 3- संयुक्त सचिव, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2, उ0प्र0शासन, सचिवालय, लखनऊ ।
- 4- समस्त आयुक्त व्यापार कर/ वैट/ वाणिज्य कर / आबकारी एवं कराधान आयुक्त, भारत सरकार के सभी राज्य एवं केन्द्र शासित संघों को ।
- 5- महालेखाकार, उ0प्र0 171-ए-अशोक नगर, इलाहाबाद ।
- 6- समस्त एडीशनल कमिशनर ग्रेड-1 वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश को दो प्रतियों के साथ प्रेषित कि इस विज्ञप्ति की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर लगायें तथा सभी व्यापारिक संघों को भी अपने स्तर से अवगत कराने का कष्ट करें ।
- 7- समस्त ज्वाइन्ट कमिशनर (कार्यपालक) वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश को दो प्रतियों के साथ प्रेषित कि इस विज्ञप्ति की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर लगायें तथा सभी व्यापारिक संघों को भी अपने स्तर से अवगत कराने का कष्ट करें ।
- 8- समस्त ज्वाइन्ट कमिशनर (वि0अनु0शा0/अपील) वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश ।
- 9- समस्त डिप्टी कमिशनर , वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।
- 10- ज्वाइन्ट कमिशनर (उच्च न्यायालय कार्य) वाणिज्य इलाहाबाद, लखनऊ ।
- 11- समस्त असिस्टेन्ट कमिशनर /वाणिज्य कर अधिकारी चाहें जिस कार्य में लगे हों ।
- 12- समस्त अनुभाग अधिकारी, वाणिज्य कर मुख्यालय ।
- 13- सूचना केन्द्र को 5 अतिरिक्त प्रतियाँ ।
- 14- मैनुअल अनुभाग वाणिज्य कर मुख्यालय को 5 प्रतियाँ एवं विधि अनुभाग को 15 अतिरिक्त प्रतियाँ ।

(सुशील कुमार दुबे) 3/12/08

वाणिज्य कर अधिकारी (विधि) वाणिज्य कर,
मुख्यालय ।